

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)


अपील संख्या:-211/2018/225 (2018/00211)

1. रामनिवास पुत्र लादू, जाति ब्राह्मण,
2. दुर्गालाल पुत्र लादू, जाति ब्राह्मण, (फौत) जरिये वारिसान:-
2/1- श्रीमती गीता पत्नि स्व0 दुर्गालाल,
2/2- रामरतन पुत्र स्व0 दुर्गालाल,
2/3- दिलखुश पुत्र स्व0 दुर्गालाल,
2/4- कान्ती पुत्री स्व0 दुर्गालाल,
2/5- मधु पुत्री स्व0 दुर्गालाल,
2/6- सीमा पुत्री स्व0 दुर्गालाल,
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी धून्धरी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. जवारा पुत्र कजोड़,
2. नारायण पुत्र कजोड़ (फौत) जरिये वारिसान:-
2/1- बदाम देवी पत्नि नारायण,
2/2- नाथूलाल पुत्र नारायण,
2/3- प्रेमदेवी पुत्री नारायण,
2/4- छोटी पुत्री नारायण,
2/5- कैलाशी पुत्री नारायण,
2/6- रसाली पुत्री नारायण,
2/7- सीमा देवी पुत्री नारायण,
2/8- दिलखुश पुत्र नारायण,
2/9- फोरन्ता देवी पुत्री नारायण,
समस्त जाति बैरवा, निवासी धून्धरी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।
3. चतुर्भुज पुत्र हरदेव (फौत) जरिये वारिसान:-
3/1- भूरीदेवी पत्नि चतुर्भुज,
3/2- सायरी पुत्री चतुर्भुज,
3/3- श्योजी पुत्र चतुर्भुज,
3/4- लटूर पुत्री चतुर्भुज,
3/5- प्रहलाद पुत्र चतुर्भुज,
3/6- काली पुत्री चतुर्भुज,
3/7- हेमराज पुत्र चतुर्भुज,
3/8- छग्गू पुत्री चतुर्भुज,
समस्त जाति बैरवा, निवासी धून्धरी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
4. मानी पत्नि धन्ना,
5. अमरी पत्नि नन्दा,
समस्त जाति बैरवा, निवासी धून्धरी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
6. पारी बैवा भूरालाल, जाति ब्राह्मण,
7. महावीर प्रसाद पुत्र भूरा, जाति ब्राह्मण,
8. मुकेश पुत्र भूरा, जाति ब्राह्मण,
9. लाला पुत्र हजारी, जाति कहार,
10. बंशी पुत्री हजारी, जाति कहार,
11. लक्ष्मण पुत्र किशन, जाति कहार,
12. बाली पुत्री किशन, जाति कहार,


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

13. गलकू पुत्री किशन, जाति कहार,
14. रूकमा पुत्री किशन, जाति कहार,
15. श्योजी पुत्र कालू, जाति कहार,
16. कमला बेवा सुगना, जाति कहार,
17. रामदेव पुत्र सुगना, जाति कहार,
18. बरदी पुत्री सुगना, जाति कहार,
19. भूरी पुत्री सुगना जाति कहार,
20. रामकन्या पुत्री सुगना, जाति कहार,
21. पुष्पा पत्नी कैलाश जाति कहार,
22. भूला पुत्री कैलाश, जाति कहार,
23. आशा पुत्री कैलाश, जाति कहार,
24. मीना पुत्री कैलाश, जाति कहार,
25. हंसराज पुत्र कैलाश, जाति कहार,
26. कस्तूरी पत्नी देवचंद, जाति ढोली,
27. रामदेव पुत्र अर्जुन जाति बैरवा (फौत) जरिये वारिसान:-
 27/1- भूरी पत्नी रामदेव,
 27/2- रतन पुत्र रामदेव,
 27/3- श्योजी पुत्र रामदेव,
 27/4- चिरंजी पुत्र रामदेव,
 27/5- सन्तरा पुत्री रामदेव,
 27/6- रतनी पुत्री रामदेव,
 27/7- फोरन्ता पुत्री रामदेव,
28. हरिराम पुत्र अर्जुन, जाति बैरवा,
29. पवन पुत्र स्व० छगना, जाति बैरवा,
30. मनभर पत्नि छगना, जाति बैरवा,
31. सीता पत्नि गोपाल, जाति बैरवा,
32. सुनीता पुत्री स्व० गोपाल, जाति बैरवा,
33. पुखराज पुत्र स्व० गोपाल,
34. दीपक पुत्र स्व० गोपाल,
35. खुशीराम पुत्र स्व० गोपाल,
 रेस्पो० संख्या 33 लगायत 35 नाबालिग जरिये वली एवं प्राकृतिक संरक्षक
 माता सीता पत्नि स्व० गोपाल बैरवा,
36. रामेश्वर पुत्र श्रीलाल, जाति बोहरा,
37. मुकेश कुमार पुत्र सोहनलाल, जाति महाजन,
38. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रतनलाल, जाति महाजन (फौत) जरिये वारिसान:-
 38/1- श्रीमती संतोष जैन पत्नी राजेन्द्र प्रसाद,
 38/2- पियुष कुमार जैन पुत्र राजेन्द्र प्रसाद,
 38/3- नीलम पुत्री राजेन्द्र प्रसाद,
 38/4- रेखा जैन पुत्री राजेन्द्र प्रसाद,
 समस्त जाति जैन, निवासी धून्धरी, तह० केकड़ी, जिला अजमेर ।
39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश
 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 1.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या

20/2015.

Dr.
 म.ग.स. अपील अधिकारी
 अजमेर

उपस्थित:-

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5, 19, 20, 27/1 से 27/7, 29, 30 व 38.
3. रेस्पो0 संख्या 6 से 18, 21 से 26 व 28 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 39.

निर्णय

दिनांक:- 30.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश दिनांक 1.5.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अप्रार्थीगण/अपीलांट संख्या 1 व 2 दुर्गालाल जिसका दौराने प्रार्थना पत्र सुनवाई स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान अपीलांट संख्या 2/1 से 2/6 कायम किये गये है के विरुद्ध पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम धून्धरी, तहसील केकड़ी में स्थित आराजी खसरा संख्या 2418/1, 2422/1, 2418/2, 2422/2, 2418, 2422, 2416, 2417/1, 2425/2, 2417 मिन, 2423, 2424/1, 2425/1, 2458, 2424 मिन, 2425, 2456, 2457, 2458 अवस्थित है, जो प्रार्थीगण की आराजी है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 35 की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2514, 2512, 2511, 2509, 2312, 2481, 2480, 2478, 2464, 2465, 2466 है, में से होकर प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का रास्ता है तथा उक्त रास्ता मार्ग के अलावा अन्य कोई मार्ग स्थित नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 से 35 ने उक्त आराजी में तारबंदी कर रास्ते को बंद कर दिया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की आराजी में से 15 फुट चौड़ा रास्ता के आदेश प्रदान किये जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 1.5.2018 को आदेश पारित कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई एवं मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2018 को पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित है जबकि अप्रार्थीगण/अपीलांटस और उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए थे । प्रोसिडिंग से यह स्पष्ट है कि दिनांक 15.3.2018 को पत्रावली जवाब व बहस प्रार्थना पत्र हेतु मिसल दिनांक 26.4.2018 को प्रस्तुत होने का अंकन किया गया था इसके पश्चात् पत्रावली दिनांक 26.4.2018 को नियत नहीं हुए और ना ही दिनांक 1.5.2018 बाबत् कोई प्रोसिडिंग का अंकन है । इस प्रकार पत्रावली को कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प धून्धरी में नियत कर बिना विधिक कार्यवाही सम्पन्न हुए निर्णय पारित करने में अधी0न्याया0 ने भारी भूल की है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में



अपीलांटस की आराजी में से रास्ता होना बताया है जबकि प्रार्थी का अपीलांटस की आराजी में से कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है। अन्य अप्रार्थीगण जिन्होंने रास्ता दिये जाने की सहमति प्रदान की है उन्होंने प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में से रास्ता चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखे थे। अधी०न्याया० के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251-ए पेश होने पर मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रथम रिपोर्ट दिनांक 4.11.2015 को आ चुकी थी उस रिपोर्ट पर बिना कोई आपत्ति हुए दूसरी रिपोर्ट दिनांक 16.8.2016 को मंगवाई गई। उक्त रिपोर्ट अपीलांट को बिना सूचना दिये तलब की गई है जो प्रथम रिपोर्ट के विपरीत तैयार कर भिजवाई गई है। प्रथम रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन किया गया था कि वादीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे वह आते जाते हैं जबकि दूसरी रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते बाबत कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार दोनों रिपोर्ट में विरोधाभास है। अधी०न्याया० ने मौका रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। धारा 251-ए के तहत उसी खातेदार को अन्य खातेदारों की आराजी में से रास्ता दिया जा सकता है जिसके पास कोई वैकल्पिक रास्ता ना हो। उक्त प्रावधान सुविधा व दूरी की दृष्टि से नहीं बनाये गये हैं। प्रार्थीगण/रेस्पों के पास पूर्व में ही अपनी खातेदारी आराजी में पहुंचने के लिए खसरा नंबर 2419 व 2421 के मध्य रास्ता है जिससे वह स्वयं की खातेदारी पर आते जाते रहते हैं तथा उसी रास्ते का उपयोग करते हैं लेकिन अधी०न्याया० ने वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद एक नया रास्ता कायम कर प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है। प्रार्थीगण/रेस्पों ने पूर्व में एक सिविल वाद जवारा बनाम रामेश्वर सिविल न्यायालय केकड़ी में प्रस्तुत कर रखा था जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 इसी आधार पर खारिज किया गया था रेस्पों की आराजी में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता धून्धरी से रामथला बाजटा अंकित है। अधी०न्याया० ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी०न्याया० का आदेश निरस्त किया जावे। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आ०आ०टी० 2016 (1) पेज 649, आ०आ०टी० 2017 (1) पेज 423, आ०आ०टी० 2018 (1) पेज 467, आ०आ०डी० 1990 पेज 205, 188, आ०आ०डी० 1986 पेज 88 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० पेश कर कथन किया कि अधी०न्याया० के निर्णय की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता अधी०न्याया० में कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे और ना ही उनके समक्ष प्रार्थीगण ने कोई बहस ही की थी इसके बावजूद प्रार्थी/अपीलांट की उपस्थित गलत दर्ज करते हुए दिनांक 1.5.2018 को निर्णय पारित किया है जबकि निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया था। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता ने कई बार संबंधित प्रकरण में तारीख पेशी बाबत रीडर से जानकारी चाही तो उन्होंने यही बताया कि अभी कैम्प कोर्ट चल रहे हैं सभी पत्रावलियां अस्त व्यस्त हैं, कैम्पों के समाप्त होने के बाद जानकारी कर लेना तब आपको बताया दिया जवोगा। कैम्प 30 जून 2018 को समाप्त होने के बाद भी जानकारी चाही तो कहा बाद में पता कर लेना पत्रावलिआ पीठासीन अधिकारी के पास है। दिनांक 18.7.2018 को प्रार्थी ने जानकारी चाही तब यह बताया कि आपके तीनों प्रकरणों में तो दिनांक 1.5.2018 को निर्णय पारित कर दिया गया है नकल ले लो सब पता लग जावेगा तब प्रार्थी ने दिनांक 18.7.2018 को प्रमाणित नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा उसी दिन नकल प्राप्त होने पर अधिवक्ता से संपर्क कर



राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

- जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।
6. विद्वान वकील रेस्पों संख्या 1 से 5, 19, 20, 27/1 से 27/7, 29, 30 व 38 ने बहस में निवेदन किया कि अधीन्याया का निर्णय विधिसम्मत है । रेस्पों की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । रेस्पों अपीलांटस की खातेदारी आराजियात में से आवागमन करते रहे है जिसे अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने तारबंदी कर बंद कर दिया । अधीन्याया द्वारा अपीलांटस को जवाब हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये किन्तु इनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट में रेस्पों की आराजियात पर आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग नहीं होने का स्पष्ट अंकन किया है । अधीन्याया ने धारा 251-ए के प्रावधानों के तहत अपीलाधीन निर्णय पारित कर रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।
7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधीन का निस्तारण करना उचित समझते है । अभिभाषक अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधीन में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी/रेस्पों संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-ए राजकाशत अधीन पेश किये जाने पर अधीन्याया ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2/अपीलांटस दिनांक 6.8.2015 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु समय चाहा । इसके उपरांत लगभग 34 पेशियों तक प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । इसलिये अपीलांटस का यह कथन उचित नहीं है कि अधीन्याया द्वारा अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने के नोटिस पर स्वयं रामनिवास के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांटस को प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने की पूर्ण जानकारी थी । अन्य प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 8, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 23 लगायत 25, 28 व 32 ने पत्रावली प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण की आराजियात में 15 फूट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने हेतु देने में सहमति प्रदान की है तथा यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की आराजियात रास्ते के अभाव में पड़त पड़ी है तथा यही एकमात्र रास्ता है । अधीन्याया ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है । तहसीलदार ने भू-अभिलेख निरीक्षक पारा द्वारा तैयार प्रथम मौका रिपोर्ट दिनांक 16.8.2016 को अधीन्याया को प्रेषित की है जिसमें भू-अभिलेख निरीक्षक ने अंकित किया है कि वर्तमान में चाहा गया रास्ता बंद है व फसल काशत हो रखी है । तत्पश्चात् अधीन्याया ने नवीन मौका रिपोर्ट तलब की जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 30.4.2018 को नवीन मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीन्याया को प्रेषित की है । उक्त दानों मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है । अपीलांटस अधीन्याया के समक्ष उपस्थित थे किन्तु उनके

WR-
राजस्व अपील अधिकारी
अ नंबर


द्वारा अधी०न्याया० के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार का ऐतराज पेश नहीं किया गया है । प्रार्थीगण/रेस्पों संख्या 1 व 2 की आराजियात में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होने से अधी०न्याया० ने धारा 251-ए राज०काश्त०अधि० की मंशा के अनुरूप रास्ते के आदेश पारित किये हैं जो विधिसम्मत आदेश है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.5.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।


(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.9.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।


(मेघना चौधरी)

राजस्व अपीलांटस प्राधिकारी,
अजमेर